प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर.....वर्ष 2022.....
2. प्र.इ.रि.सं.....492/2022..... दिनांक.....28/12/2022.....
   (I) * अधिनियम...पी0सी0 एक्ट 1988 धाराएं – 13(1)(डी), 13(2).....
   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – 420, 467, 468, 471, 477ए एवं 120बी .....
   (III) * अधिनियम.....–..... धाराएं.....–.....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं .....–.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....552.....समय.....2:05 PM.....
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– वर्ष 2011–2018 तक.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – जरिए सूत्र सूचना दिनांक 04.10.2017.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – उत्तर पूर्व में, करीब 130 किलोमीटर,
   (ब) पता – खाजूवाला, बीकानेर
   बीटसंख्या.....–.....जुरायमदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....–.....
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– राज्य सरकार
   (ब) पिता/पति का नाम :– –
   (स) जन्म तिथि/आयु वर्ष :– –
   (द) राष्ट्रीयता :– –
   (य) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह .....
   (र) पेशा :– –
   (ल) पता :– –
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. श्री रामेश्वर दयाल मीना पुत्र श्री पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद, जाति मीना, उम्र 69 वर्ष, तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर हाल सेवानिवृत आरएएस सुपर टाईम स्केल सी–9/623, कृष्णा मार्ग, चित्रकूट जयपुर।
   2. श्री रामदेव गोयल तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर हाल सेवानिवृत।
   3. श्री राजेश कुमार नायक पुत्र श्री सुरजाराम, जाति नायक, उम्र 46, निवासी 175 इन्दिरा कॉलोनी, गली नंबर 9, श्रीगंगानगर तत्कालीन तहसीलदार खाजूवाला हाल आर0ए0एस0
   4. श्री रामचन्द्र पचार पुत्र श्री शेराराम पचार, जाति जाट, उम्र 65 वर्ष, निवासी गांव पोस्ट लीलकी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू वर्तमान निवासी मकान नंबर ए–18, सुरजपुरा कॉलोनी, बीकानेर, तत्कालीन तहसीलदार खाजूवाला हाल सेवानिवृत उपखण्ड अधिकारी।
   5. श्री कस्तूरीलाल पुत्र श्री जीतराम, जाति रामदासीया, उम्र 61 वर्ष, निवासी चांदनी चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर तत्कालीन तहसीलदार राजस्व खाजूवाला हाल सेवानिवृत।
   6. श्री महावीर प्रसाद बाकोलिया तत्कालीन तहसीलदार खाजूवाला, जिला बीकानेर।
   7. श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री देवगुप्त, जाति गुप्ता, उम्र 56 वर्ष, निवासी गांव गोतना, तहसील ईगलास, जिला अलीगढ़, उत्तरप्रदेश पुलिस थाना ईगलास, वर्तमान निवासी बी–228 करणीनगर, लालगढ, बीकानेर तत्कालीन हल्का पटवारी हाल पटवारी, पटवार हल्का दंतौर, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर।
   8. श्री जुगल किशोर शर्मा पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा, जाति ब्राहम्ण, उम्र 55 वर्ष, निवासी गांव पाटोदा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर वर्तगान निवासी 54ए, देवीनगर, हरनाथपुरा, कालवाड़ रोड़ जयपुर तत्कालीन हल्का पटवारी हाल पटवारी, पटवार मंडल कालख, तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभर।
   9. श्री हरिराम पुत्र श्री मोडाराम, जाति प्रजापत, उम्र 63 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 7, गजनेर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, तत्कालीन हल्का पटवारी हाल सेवानिवृत राजस्व पटवारी, तहसील कार्यालय बीकानेर।
   10. श्री प्रभूदयाल तत्कालीन हल्का पटवारी पटवार मण्डल 8 केजेडी ए, बी, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर।
   11. श्री कैलाशचन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश तंवर, जाति माली, उम्र 62 वर्ष, निवासी पुरानी गिन्नाणी बीकानेर, तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक, तहसील कार्यालय खाजूवाला हाल सेवानिवृत।

12. श्री गुरूदेव सिंह तत्का. भू अभिलेख निरीक्षक, खाजूवाला, जिला बीकानेर।
13. श्री किशन सिंह तत्का भू अभिलेख निरीक्षक, खाजूवाला, जिला बीकानेर हाल सेवानिवृत।
14. श्री रामेश्वरलाल कस्वा तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक, खाजूवाला, जिला बीकानेर।
15. श्री मेघाराम तत्कालीन तहसील राजस्व लेखाकार खाजूवाला हाल सेवानिवृत।
16. श्री श्याम सिंह पुत्र श्री चैन सिंह, जाति राजपूत, उम्र 50 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 3 कैलाशपुरी, बीकानेर हाल तहसील राजस्व लेखाकार, राजस्व तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर।
17. बच्ची बेवा रहमत खां, आयु 50 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी बेरियांवाली, उपनिवेशन तहसील खाजूवाला, राजस्व तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर।
18. रहमो पत्नी पठाने खां निवासी बेरियांवाली, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर।
19. श्रीमती मन्नत पुत्री कालू खां पत्नी श्री सतार खांन, जाति मुसलमान, उम्र 57 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11, पुरानी मस्जिद के पास, खाजूवाला, पुलिस थाना खाजूवाला, जिला बीकानेर
20. जन्नत उर्फ मन्नत पत्नी श्री शंभू खां पड़िहार, जाति मुसलमान, उम्र 57 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 18, भैंरू मोहल्ला खाजूवाला, पुलिस थाना खाजूवाला, जिला बीकानेर।
21. श्री अजीजुल्ला पुत्र श्री अलादिवाया, निवासी पहलवान का बेरा, तहसील पूगल, जिला बीकानेर।
22. श्री समेरमल पुत्र श्री रामकुमार, जाति ब्राहम्ण, उम्र 65 वर्ष, पेशा दूकानदारी, निवासी वार्ड नंबर 17, नई मस्जिद के पास, खाजूवाला, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर
23. श्री नवाब खां पुत्र श्री गुलजार खां, जाति मुसलमान, उम्र 55 वर्ष, पेशा खेती, निवासी गांव रणसीसर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू वर्तमान निवासी वार्ड नंबर 18, खाजूवाला, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर।
24. जन्नत पुत्री फरीद खां पत्नी श्री दूर मोहम्मद, जाति मुसलमान, उम्र 59 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 20, शक्ति नगर, खाजूवाला, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर।
25. श्रीमती बच्ची पत्नी वजीर खां, जाति मुसलमान, उम्र 70 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 14, खाजूवाला, पुलिस थाना खाजूवाला, जिला बीकानेर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....–.....
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) .....–.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने पत्रांक 3248 दिनांक 04.10.2017 द्वारा सूत्र सूचना श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर रेंज बीकानेर को प्रेषित की गई। उक्त सूत्र सूचना पर प्राथमिक जांच संख्या 22/2017 पंजीबद्ध हुई। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बीकानेर को एक गुमनाम शिकायत 10 फर्जी आवंटन पत्रावलियों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने के संबंध में की गई। उक्त शिकायत को उक्त प्राथमिक जांच में शामिल की गई।

उक्त जांच से पाया गया है कि बच्ची बेवा रहमत खां ने आवंटन अधिकारी बीकानेर राजस्थान नहर परियोजना के नाम सरकारी भूमि के आवंटन के लिए वर्ष 1988 में आवेदन करना दर्शाया गया। आवेदन पत्र में बच्ची बेवा रहमत ने अपने परिवार के सदस्यों का ब्यौरा अंकित किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के दस्तावेजात में भूमि हीन श्रेणी का प्रमाण पत्र फार्म क्रमांक 029924 उपनिवेशन तहसीलदार छतरगढ़ नं. 2 मु. खाजूवाला का लगा हुआ है। उक्त भूमिहीन श्रेणी के प्रमाण पत्र के नीचे पटवार हल्का खाजूवाला की रिपोर्ट अंकित है। तत्पश्चात आवंटन अधिकारी, इगानप, छतरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 22.12.1988 को जरिए लॉटरी चक नंबर 1–2 एमडीएम में मुरब्बा नंबर 204/57 किला नंबर 1 ता 25 में कमाण्ड 25 बीघा भूमि आवंटित होना दर्शाया गया है। उक्त आवंटन दिनांक से माह अप्रेल 2013 तक अर्थात् करीब 25 वर्ष तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होना नहीं पाया गया है और न ही उक्त अवधि तक कोई कब्जा दिये जाने के तथ्य पाये गये हैं। उक्त आवंटी द्वारा वर्ष 1988 से 2013 तक कोई राशि जमा नहीं करवाई गई। उक्त आवंटन को असली रूप देने के लिए आवंटी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के यहां आवंटन आदेश दिनांक 22.12.1988 के विरूद्ध भूमि के चक संशोधन हेतु अपील की गई। उक्त अपील संख्या 261/12 में श्री रामेश्वरदयाल मीना, राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर ने दिनांक 26.04.2013 को निर्णय पारित कर उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को नियम विरूद्ध आदेश दिये कि अपीलांट को आवंटित रकबा चक 1–2 एमडीएम के मुरब्बा

नंबर 204/57 तादादी 25 बीघा का वर्तमान नये चक 13 पीकेडी व 14 पीकेडी ए में अमलदरामद किया जावे। न्यायालय आरएए के निर्णय के क्रम में उक्त आवंटी द्वारा उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष दिनांक 23.05.2013 को रकबा का अमल दरामद करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जो उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। उक्त निर्णयादेश व तत्कालीन तहसीलदार श्री रामचन्द्र पचार के आदेश क्रमांक 1288 दिनांक 23.05.2013 की पालना में पटवारी श्री हरिराम द्वारा दिनांक 27.05.2013 को नामान्तकरण संख्या 57 मुरब्बा नंबर 204/57 की कुल 10 बीघा का एवं नामान्तकरण संख्या 02 मुरब्बा नंबर 204/57 की कुल 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि का भरा गया। हल्का पटवारी श्री हरिराम द्वारा दिनांक 20.09.2013 को नामान्तरकरण पर नोट अंकित किया कि आवंटन की पुष्टि एसडीओ खाजूवाला को भिजवाई हुई है वहां से पुष्टि होकर आने पर निर्णय हेतु पेश किया जा सकता है। उक्त आवंटन की पुष्टि एसडीओ खाजूवाला से नहीं आने के कारण श्री कस्तूरीलाल तहसीलदार खाजूवाला द्वारा दिनांक 22.07.2014 को उक्त नामान्तकरण खारिज कर दिया। उक्त प्रश्नगत कूटरचित आवंटन पत्रावली तैयार की गई, जिसके लिए लाभार्थी बच्ची बेवा रहमत खां दोषी है तथा उक्त कूटरचित पत्रावली के आधार पर षड़यंत्र पूर्वक मिलीभगत कर गलत निर्णय जारी करने के लिए श्री रामेश्वरदयाल मीना तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी पूर्णतया दोषी हैं।

रहमो पत्नी श्री पठाने खां, निवासी बेरियावाली, उपनिवेशन तहसील खाजूवाला, राजस्व तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर ने आवंटन अधिकारी बीकानेर राजस्थान नहर परियोजना के नाम सरकारी भूमि के आवंटन के लिए वर्ष 1984 में आवेदन किया जाना दर्शाया गया है। उक्त आवेदन पत्र के साथ भूमि हीन श्रेणी का प्रमाण पत्र उपनिवेशन तहसीलदार छतरगढ़ नं. 2 मु. खाजूवाला का लगा हुआ है। उक्त भूमिहीन श्रेणी के प्रमाण पत्र के नीचे पटवार हल्का खाजूवाला की रिपोर्ट अंकित है। आवंटन अधिकारी, इगानप, छतरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 22.03.1984 को जरिए लॉटरी चक नंबर 3 केजेडी में मुरब्बा नंबर 101/51 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित करना दर्शाया गया है। उक्त रहमो के द्वारा तहसीलदार खाजूवाला के नाम दिनांक 05.02.2014 को टाईपशुदा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रार्थी के नाम से चक 3 केजेडी हाल 5 केजेडी तहसील खाजूवाला के मुरब्बा नंबर 101/51 की 25 बीघा भूमि आवंटित शुदा है, उपरोक्त भूमि की तमाम किश्तों की राशि खजाना राज जमा करवा दी है। प्रार्थी का उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश प्रदान करें। उक्त प्रार्थना पत्र पर श्री कस्तूरीलाल तहसीलदार ने जरिए क्रमांक 684 दिनांक 05.03.2014 को पटवारी हल्का 22 केवाईडी को आदेश दिये कि संबंधित रिकॉर्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट कर मूल कागजात वापिस लौटायें। उक्त आदेश पर श्री जुगल किशोर शर्मा पटवारी ने मुरब्बा नंबर 101/51 की जमाबंदी सम्वत् 2067–70 की देखकर चक 5 केजेडी के अनुसार रकबा आराजीराज दर्ज है, मौके की स्थिति के अनुसार रकबा खाली पड़ा है कि रिपोर्ट की गई। उपखण्ड अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट मांगे जाने पर सैल रजिस्टर में खाता खुला हुआ नहीं होने बाबत सूचित किया गया है। इस प्रकार जांच से पाया गया कि उक्त आवंटी के नाम से आवंटन दिनांक से वर्ष 2020 तक अर्थात् करीब 36 वर्ष तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होना नहीं पाया गया है और न ही उक्त अवधि तक कोई कब्जा दिये जाने के तथ्य पाये गये हैं। उक्त पत्रावली कूटरचित लाभार्थी रहमो पत्नी पठाने खां द्वारा तैयार की गई है।

रमजान पुत्र गुलजारी, जाति मुसलमान, निवासी महाजन, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर को चक 7 एमएम के मुरब्बा नम्बर 72/56 की 25 बीघा भूमि दिनांक 22.03.1984 को फर्जी रूप से आवंटन पत्रावली तैयार किया जाना सूत्र सूचना से पाया गया है, परन्तु उक्त पत्रावली उपलब्ध नहीं होने से जांच नहीं हो सकी। प्रकरण दर्ज होने पर उक्त पत्रावली के संबंध में विस्तृत गहन अनुसंधान आवश्यक होगा।

मन्नत पुत्री कालू खां, निवासी बेरियावाली, उपनिवेशन तहसील खाजूवाला, राजस्व तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर ने उपायुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी बीकानेर के नाम से सरकारी भूमि आवंटन के लिए आवेदन दिनांक 04.11.1988 को पेश करना दर्शाया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ भूमि बाबत प्रमाण पत्र क्रमांक 029924 उपनिवेशन तहसीलदार छतरगढ़ नं. 2 मु. खाजूवाला का लगा हुआ है। प्रमाण पत्र के नीचे पटवार हल्का खाजूवाला की रिपोर्ट अंकित है। आवंटन अधिकारी, इगानप, छतरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 22.12.1988 को जरिए लॉटरी चक नंबर 4 एडीएम के मुरब्बा नंबर 205/17 में 10 बीघा नहरी भूमि, चक 1–2 एमडीएम के मुरब्बा नंबर 224/27 में 25 बीघा बारानी भूमि आवंटित करना दर्शाया गया है। उक्त आवंटन दिनांक से वर्ष 2011 तक अर्थात् करीब 23 वर्ष तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होना नहीं पाया गया है और न ही उक्त अवधि तक कोई कब्जा दिये जाने के तथ्य पाये गये हैं। उक्त

आवंटी का वर्ष 1988 से 2011 तक न तो खाता खोला गया और न ही कोई किश्त जमा हुई हैं। उक्त मन्नत पुत्री कालूखां द्वारा तहसीलदार खाजूवाला को सैल रजिस्टर में खाता खुलवाकर शेष किश्तें एक मुश्त जमा करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। उक्त प्रार्थना पत्र के पीछे हल्का पटवारी श्री अनिल कुमार द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई कि "श्रीमान्जी चक 3 पीकेएम मु.नं. 205/17 कि. नं. 1 ता 05, 9,10,11, 18, 23 की 10 बीघा कमाण्ड जमाबंदी सम्वत 2065–68 में आराजीराज दर्ज है व चक 14 पीकेडी मु.नं. 224/27 किला नंबर 1 ता 25 में 24 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड जमाबंदी सम्वत् 2064–67 के अनुसार वन विभाग दर्ज रिकॉर्ड है।" जिस पर श्री राजेश नायक तहसीलदार ने टीआरए को मार्क किया गया। टीआरए श्री मेघाराम द्वारा रिपोर्ट अंकित की कि प्रार्थी का सैल रजिस्टर में खाता खुला हुआ नहीं है, रकबा वन विभाग का होने से तहसील की सूची में आवंटी का नाम दर्ज की कार्यवाही अपेक्षित है, शेष आराजीराज भूमि का अमलदरामद मूल पत्रावली के आधार पर किया जाना उचित होगा। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार श्री राजेश नायक ने दिनांक 30.12.2011 को आदेश दिया कि प.ह. रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करें की पूर्व में कभी वन विभाग के नाम तो नहीं रही। विवाद/स्थगन आदि तो नहीं है। ना किसी श्रेणी में तो नहीं हुआ रिपोर्ट करें। उक्त टीआरए ने रिपोर्ट दी कि प.हल्का 5 केजेडी मुरब्बा नंबर 205/17 स्पष्ट रिपोर्ट करें कि क्या यह रकबा कभी वन विभाग के नाम रहा है और गजट में तो नहीं है स्थनग/विवाद होने की रिपोर्ट करें। उक्त टिप्पणी श्री राजेश नायक ने पटवार हल्का को रिपोर्ट करने के आदेश दिनांक 30.12.2011 को देने पर हल्का पटवारी श्री अनिल कुमार गुप्ता ने रिपोर्ट अंकित की कि "चक 3 पीकेएम मुरब्बा नंबर 205/17 के किला नंबर 1 ता 5, 9 ता 11, 18 व 23 की 10 बीघा कभी वन विभाग में नहीं रहा है ना ही गजट में ना ही स्थगन है, रकबा खाली है।" उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार ने टीआरए को दिनांक 02.01. 2012 को मार्क करने पर श्री मेघाराम ने टिप्पणी अंकित की कि "पुराना प्रकरण एक वन विभाग का प्रकरण है। अतः प्रकरण एसडीओ खाजूवाला को भेजा जाना उचित है।" इस टिप्पणी को काटा गया है। उक्त टिप्पणी के पश्चात पुनः मेघाराम टीआरए ने दिनांक 03.01.2012 को टिप्पणी की है कि रकबा 3 पीकेएम का मुरब्बा नंबर 205/17 का किला नंबर 1 ता 5, 9 ता 11, 18 व 23 कुल 10 बीघा कमाण्ड भूमि वन विभाग की नहीं है। सैल रजिस्टर में खाता खुला हुआ नहीं है एवं प. रिकॉर्ड में भी अमल दरामद नहीं है, मु.नं. 224/27 वन विभाग का होने से अमल दरामद के काबिल नहीं है, 205/17 की एक मुश्त राशि जमा करवाकर अंकन कराया जाना उचित होगा। इस पर श्री राजेश नायक द्वारा उसी दिन अपनी सहमती देने पर श्री मेघाराम टीआरए ने उसी रोज टिप्पणी की कि समस्त राशि एक मुश्त जमा की जा चुकी है। अतः पटवार हल्का को मुरब्बा नंबर 205/17 में 10 बीघा भूमि अमलदरामद हेतु भेजा जाना उचित है। तत्पश्चात श्री राजेश नायक ने जरिए क्रमांक 1086 दिनांक 18.01.2012 द्वारा आदेश दिये कि मूल ही पटवारी हल्का 5 केजेडी को भेजकर आवंटन में मु.नं. 205/17 के किला नंबर 1 ता 5, 9 ता 11 व 18 व 23 कुल 10 बीघा रिकॉर्ड में अंकन करें। उक्त आदेश के क्रम में श्री अनिल कुमार गुप्ता पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 13 आराजीराज से मन्नत पुत्री कालू खां, जाति मुसलमान के नाम मुरब्बा नंबर 205/17 की 10 बीघा कमाण्ड भूमि का भरा जाकर श्री रामेश्वरलाल कस्वा गिरदावर के समक्ष पेश करने पर उन्होंने रिकॉर्ड से मिलान कार्यालय आदेश का अंकन कर अपने दिनांक 19.01.2012 को अपने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त नामान्तरकरण श्री राजेश नायक तहसीलदार द्वारा दिनांक 01.02.2012 को स्वीकृत किया गया है। उक्त आवंटन आदेश करीब 23 वर्ष पूर्व का होने, आवंटन से वर्ष 2011 तक आवंटी का कब्जा नहीं होने, भूमि का सैल रजिस्टर में खाता खुला हुआ नहीं होने एवं प्रश्नगत आवंटन आदेश द्वारा आवंटित रकबा मुरब्बा नंबर 204/27 वन विभाग के नाम पूर्व से होने के तथ्यों से उक्त आवंटन आदेश प्रथम दृष्टया ही फर्जी प्रतीत होने के उपरांत भी बिना उपखण्ड कार्यालय से आवंटन की पुष्टि करवाये भूमि का सैल रजिस्टर में खाता खुलवाकर एक मुश्त राशि दिनांक 03.01.2012 को श्री राजेश नायक तहसीलदार के आदेश पर जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही की गई है। उक्त प्रश्नगत भूमि की पत्रावली कूटरचित तैयार करने के लिए लाभार्थी मन्नत पुत्री कालू खां व इनका पत्नी सत्तार खां पुत्र रहमत खां दोषी कूटरचित आवंटन पत्रावली के आधार पर श्री राजेश नायक तत्कालीन तहसीलदार खाजूवाला ने आवंटन की पुष्टि उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला से करवाये बिना ही सैल रजिस्टर में खाता खुलवाकर एक मुश्त राशि आवंटन के 23 वर्ष बाद दिनांक 03.01.2012 को जमा करवाई गई तथा पटवारी श्री अनिल कुमार गुप्ता को आदेश देकर नामान्तकरण दर्ज करवाकर स्वीकृत किया गया, जिसके लिए श्री अनिल कुमार गुप्ता तत्कालीन हल्का पटवारी, श्री राजेश कुमार नायक तत्कालीन तहसीलदार व श्री मेघाराम टीआरए दोषी है।

बुद्धे खां पुत्र पूर्ण खां, निवासी राजपुरिया, उपनिवेशन तहसील लूणकरणसर, राजस्व तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर ने आवंटन अधिकारी इगापन बीकानेर के नाम सरकारी

भूमि के आवंटन के लिए दिनांक 21.03.1984 को आवेदन किया जाना दर्शाया गया है। आवंटन अधिकारी, इगानप, छतरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 22.03.1984 को जरिए लॉटरी चक नंबर 4 एडीएम के मुरब्बा नंबर 205/19 में कुल 14 बीघा नहरी भूमि व 11 बीघा बारानी भूमि भूमि आवंटित करना दर्शाया गया है। श्री बुद्धे खां के नाम आवंटित भूमि का नामान्तरकरण आवंटन दिनांक 22.03.1984 से माह फरवरी 2012 तक दर्ज नहीं हुआ। उक्त आवंटन दिनांक से वर्ष 2011 तक अर्थात् करीब 27 वर्ष तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होना नहीं पाया गया है और न ही उक्त अवधि तक कोई कब्जा दिये जाने के तथ्य पाये गये हैं। उक्त आवंटी के नाम से वर्ष 1984 से 2011 तक न तो खाता खोला गया और न ही कोई किश्त जमा हुई है। श्री अनिल गुप्ता हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के आदेश क्रमांक 1435 दिनांक 20.03.2012 की पालना में आराजीराज से बुद्धे खां के नाम नामान्तरकरण संख्या 14 दर्ज किया गया। जो दिनांक 14.06.2012 को भूअभिलेख निरीक्षक श्री रामेश्वरलाल कस्वा द्वारा रिकॉर्ड से मिलान करने के पश्चात तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसीलदार श्री रामचन्द्र पचार द्वारा दिनांक 03.07.2012 को नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश संख्या 1435 दिनांक 30.03.2012 श्री रामचन्द्र पचार तहसीलदार के पदस्थापन से पूर्व का है। कूटरचित आवंटन पत्रावली के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार ने आवंटन की पुष्टि उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला से करवाये बिना ही सैल रजिस्टर में खाता खुलवाकर एक मुश्त राशि आवंटन के 27 वर्ष बाद दिनांक 19.03.2012 को जमा करवाई गई तथा पटवारी श्री अनिल कुमार गुप्ता को आदेश देकर नामान्तकरण दर्ज करवाया गया। उक्त नामान्तरकरण श्री रामचन्द्र पचार तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 03.07.2012 को स्वीकृत किया गया। राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों ने लाभार्थी से मिलीभगत कर षड़यंत्र पूर्वक अपने पद का दुरूपयोग कर उक्त कृत्य किया है, जिसके लिए श्री अनिल कुमार गुप्ता तत्कालीन हल्का पटवारी, श्री राजेश कुमार नायक तत्कालीन तहसीलदार व श्री मेघाराम टीआरए दोषी है। उक्त बुद्धे खां फौत हो चुका है।

मन्नत पत्नी शंभु खां, निवासी ग्राम सतासर, उपनिवेशन तहसील खाजूवाला, राजस्व तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर ने उपायुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी बीकानेर के नाम से सरकारी भूमि आवंटन के लिए आवेदन दिनांक 21.12.1983 को पेश करना दर्शाया गया। उक्त आवेदन के साथ भूमिहीन का प्रमाण पत्र क्रमांक 029924 लगा हुआ है। उक्त भूमिहीन श्रेणी के प्रमाण पत्र में पटवार हल्का खाजूवाला की रिपोर्ट अंकित है। आवंटन अधिकारी, इगानप, छतरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 22.03.1984 को जरिए लॉटरी चक नंबर 3 केजेडी के मुरब्बा नंबर 121/27 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित करना दर्शाया गया है।

उक्त आवंटन पत्रावली में आवेदिका द्वारा मन्नत पत्नी शंभू खां के नाम से दिनांक 24.12.1983 को आवेदन किया जाना तथा पत्रावली में समस्त जगह मन्नत पत्नी शंभू खा व शपथ पत्र में भी मन्नत पत्नी शंभु खां नाम अंकित है। तहसील कार्यालय से जारी भूमिहीन प्रमाण पत्र में जनत पत्नी शंभु खां अंकित है। मन्नत पत्नी शंभु खां के आवेदन में परिवारजनों के नाम भूमि के कॉलम में किसी के नाम कोई भूमि नहीं होने का अंकन किया गया जबकि हल्का पटवारी खाजूवाला की रिपोर्ट में आवेदिका के पति श्री शंभू खां के नाम से चक 6 केजेडी में 19 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन अंकित किया है। उक्त पत्रावली की कार्यवाही विवरण पंजिका में आवेदिका का नाम जन्नत पत्नी शंभू खां अंकित है तथा आवंटन आदेश भी जन्नत पत्नी शंभू खां नाम से जारी किया गया है। आवेदिका द्वारा अपने आवेदन में अपने दो पुत्री व दो पुत्र व उनकी आयु अंकित की गई है, जबकि जांच के दौरान मन्नत द्वारा अपने पुत्र/पुत्रियों के आधारकार्ड प्रस्तुत किये गये, जिनके अनुसार आवेदिका को प्रथम संतान पुत्री ताजां बानो का जन्म वर्ष 1985 में होना व शेष तीन संतानों का जन्म क्रमशः 1988, 1992 व 1997 में हुआ है, परन्तु आवेदिका द्वारा वर्ष 1983 में भरे गये अपने आवेदन में चारों संतानों का नाम व आयु क्रमशः 9, 7, 5 व 3 वर्ष अंकित की गई है। जिससे उक्त आवेदन प्रथम दृष्टया फर्जी व कूटरचित होना प्रमाणित होता है। उक्त आवंटन दिनांक से वर्ष 2012 तक अर्थात् करीब 28 वर्ष तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होना नहीं पाया गया है और न ही उक्त अवधि तक कोई कब्जा दिये जाने के तथ्य पाये गये हैं।

श्रीमती जन्नत पत्नी शंभू खां ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के यहां चक में संशोधन हेतु अपील की गई। उक्त जन्नत पत्नी शंभू खां की अपील संख्या 260/2012 में श्री रामेश्वरदयाल मीणा राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर ने दिनांक 26.04.2013 को निर्णय पारित किया कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को प्रति प्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि अपीलांटा को आवंटित रकबा चक 3 केजेडी के मुरब्बा नंबर 121/27 तादादी 25 बीघा का वर्तमान नये चक 5 केजेडी में अमलदरामद किया जावे। श्री रामेश्वरदयाल मीना, राजस्व अपील अधिकारी ने उक्त निर्णयादेश नियम विरूद्ध पारित कर रिकॉर्ड में अमलदरामद

करने के आदेश दिये गये हैं। मन्नत पत्नी शंभु खां का चक वर्ष 1991 में परिवर्तित हुआ है। उक्त कृत्य के लिए श्रीमती मन्नत उर्फ जन्नत पत्नी शंभू खां मुसलमान, निवासी गांव बेरियावाली एवं राजस्व अपील अधिकारी श्री रामेश्वरदयाल मीना दोषी हैं।

उक्त निर्णय के क्रम में जन्नत ने उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को दिनांक 22.05.2013 को एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थी के रकबा का चक 5 केजेडी में अमलदरामद करने की कृपा करें। उक्त प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी कार्यालय द्वारा तहसीलदार खाजूवाला को जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। जिसके क्रम में तहसीलदार श्री रामचन्द्र पचार द्वारा जरिए क्रमांक 1289 दिनांक 23.05.2013 द्वारा मूल निर्णय की प्रति पटवारी हल्का 22 केवाईडी को प्रेषित कर आदेश दिया कि निर्णय अनुसार रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना करें। उक्त आदेश के क्रम में हल्का पटवारी श्री जुगलकिशोर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 24.05.2013 को मुरब्बा नंबर 121/27 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कर भू–अभिलेख निरीक्षक के समक्ष पेश किया गया, जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक श्री किशन सिंह द्वारा आदेश से मिलान होता है का अंकन कर दिनांक 13.06.2013 को अपने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त नामान्तरकरण दिनांक 24.06. 2013 को तहसीलदार श्री रामचन्द्र पचार द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त आवंटन करीब 27–28 वर्ष पुराना होने से तहसीलदार को आवंटन की पुष्टि उपखण्ड कार्यालय खाजूवाला से करवानी चाहिए थी, परन्तु तहसीलदार श्री रामचन्द्र पचार द्वारा आवंटन की पुष्टि नहीं करवाकर उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के आदेश के क्रम में जांच नहीं करवाकर निर्णय के अनुसार रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश हल्का पटवारी को दिये हैं। जिसके लिए तहसीलदार श्री रामचन्द्र पचार ने मन्नत पत्नी शंभू व राजस्व कार्मिकों से मिलीभगत कर फर्जी कुटरचित आवंटन आदेश के क्रम में आपराधिक षड़यंत्रपूर्वक अपने पद का दुरूपयोग कर रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाया है। जिसके लिए उक्त श्री रामचन्द्र पचार तहसीलदार, हल्का पटवारी श्री जुगल किशोर, भूअभिलेख निरीक्षक श्री किशन सिंह व मन्नत पत्नी शंभू खां दोषी पाये गये गये हैं।

आवंटी द्वारा भूमि की राशि जमा करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार श्री कस्तूरीलाल द्वारा प्रार्थना पत्र को मार्क किया गया, जिस पर श्री श्यामसिंह टीआरए द्वारा रिपोर्ट की गई कि "प्रार्थी का खाता सैल रजि. में खुला हुआ नहीं है। आज्ञा हो तो सैल रजिस्टर में खाता खोलकर एक मुश्त राशि जमा करवा ली जावे। जिसके क्रम में तहसीलदार श्री कस्तूरीलाल द्वारा आदेश दिया गया कि नियमानुसार पालना करें, खाता खोलें। उक्त आदेश के क्रम में श्री श्यामसिंह तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा आवंटी जन्नत के नाम खाता खोलकर राशि जरिए चालान दिनांक 31.10.2013 को जमा करवाई गई है। उक्त जन्नत पत्नी शंभू खां का आवंटन वर्ष 1984 से माह सितम्बर 2013 तक न तो सैल रजिस्टर में खाता खुला और ना ही भूमि की किश्तें जमा करवाई गई। श्री किस्तूरीलाल तहसीलदार, श्री श्याम सिंह तहसील राजस्व लेखाकार ने लाभार्थी मन्नत पत्नी शंभू खां से मिलीभगत कर षड़यंत्रपूर्वक सैल रजिस्टर में खाता खोलकर राशि जमा करवाई गई है। उक्त कृत्य के लिए उक्त तीनों दोषी हैं।

तत्पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी के लिए मन्नत पत्नी शंभू खां ने जन्नत पत्नी श्यामू खां के नाम से उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के नाम का प्रार्थना पत्र मार्फत तहसीलदार राजस्व तहसील खाजूवाला के पेश करने पर श्री कस्तूरीलाल तहसीलदार ने दिनांक 28.10.2013 को पटवारी हल्का जांच कर रिपोर्ट करें के आदेश दिये गये, जिसके क्रम में हल्का पटवारी श्री जुगलकिशोर ने रिपोर्ट अंकित की कि "आवंटी का कब्जा दिनांक आवंटन से/ई.नं 256 दिनांक 24.06.2013 को दिया जा चुका है, खुद का कब्जा है।" हल्का पटवारी की रिपोर्ट के पश्चात टीआरए श्री श्याम सिंह द्वारा दिनांक 08.11.2013 को रिपोर्ट अंकित की गई है कि "जन्नत/शंभू खां की समस्त किश्त मय ब्याज के जमा करवा दी है, अब कोई राशि बकाया नहीं है। प्रिमियम राशि जमा है। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकारी दिये गये, जिसका अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में किया गया। इस प्रकार यह पाया गया है कि उक्त समस्त कार्यवाही षड़यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से की जाकर राजकीय भूमि अपने पद का दुरूपयोग करते हुए लाभार्थी को दी गई है।

अजीजुल्ला पुत्र श्री अलादिवाया, निवासी पहलवान बैरा, उपनिवेशन तहसील पूगल, राजस्व तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर ने उपायुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी बीकानेर के नाम से सरकारी भूमि आवंटन के लिए दिनांक 04.11.1988 को आवेदन पेश किया जाना दर्शाया गया। आवंटन अधिकारी, इगानप, छतरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 22.12.1988 को जरिए लॉटरी चक नंबर 7 पीएचएम के मुरब्बा नंबर 180/58 की कुल 25 बीघा आवंटित करना दर्शाया गया है। उक्त भूमि आवंटन के आवेदन पत्र के साथ संलग्न भूमिहीन प्रमाण पत्र में पटवार मण्डल पहलवान का बेरा द्वारा रिपोर्ट में अजीजुल्ला के नाम पुस्तैनी भूमि 7 बीघा का ही उल्लेख किया गया है। अजीजुल्ला को चक 14 पीबी में आवंटित भूमि 18 बीघा कमाण्ड का

उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त तथाकथित आवंटन दिनांक से माह अप्रेल 2013 तक अर्थात् करीब 25 वर्ष तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होना नहीं पाया गया है और न ही उक्त अवधि तक कोई कब्जा दिये जाने के तथ्य पाये गये हैं। उक्त आवंटी के नाम से वर्ष 1988 से 2013 तक न तो खाता खोला गया और न ही कोई किश्त जमा करवाई गई। उक्त रकबा की किश्तें जमा करवाने हेतु आवंटी द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा आवंटन शाखा को मार्क किया जाकर हल्का पटवारी कैलाशचन्द की रिपोर्ट ली व इसके पश्चात पत्रावली टीआरए श्री श्याम सिंह को मार्क की, जिन्होंने मात्र आवंटन की मूल पत्रावली की सत्यप्रतिलिपि के आधार पर ही आवंटन की पुष्टि होना मान लिया एक मुश्त राशि जमा करवा कर प्रार्थी अजीजुल्ला का रिकॉर्ड में अंकन करने की रिपोर्ट अंकित कर दी, जिस पर तहसीलदार श्री रामचन्द्र पचार द्वारा उपरोक्तानुसार आदेश करने पर उक्त टीआरए द्वारा जरिए चालान नं. 4 दिनांक 12.04.2013 को राशि 8750– रूपये जमा राजकोष ली गई है। तहसीलदार श्री रामचन्द्र पचार द्वारा जरिए क्रमांक टीआरए/19 दिनांक 15.04.2013 द्वारा पटवार मण्डल 6 पीएचएम को नियमानुसार रिकॉर्ड में अंकन करें के आदेश दिये गये, जिसके क्रम में पटवारी श्री जुगल किशोर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 214 दिनांक 15.04.2013 को आराजीराज से अजीजुल्ला के नाम से दर्ज करने पर उक्त नामान्तरकरण का रिकॉर्ड से मिलान श्री किशन सिंह भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.04.2013 को किया गया तथा नामान्तरकरण श्री रामचन्द्र पचार तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.04.2013 को स्वीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही में श्री श्याम सिंह ने आवंटन आदेश की सत्य प्रतिलिपि होने से आवंटन की पुष्टि होना बताया है। इस प्रकार उक्त कार्य में श्री रामचन्द्र पचार तहसीलदार, श्री जुगल किशोर हल्का पटवारी, श्री किशन सिंह भूअभिलेख निरीक्षक, श्री श्याम सिंह तहसील राजस्व लेखाकार एवं अजीजुल्ला की आपसी मिलीभगत व सुनियोजित षड़यंत्र पूर्वक वर्ष 1988 के फर्जी एवं कूटरचित आदेश के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया है, जिसके लिए उक्त दोषी पाये गये हैं। तत्पश्चात लाभार्थी से षड़यंत्र पूर्वक आपसी मिलीभगत कर खातेदारी अधिकार जारी करवाने में भी उक्त राजस्व कार्मिकों की भूमिका रही है। उक्त लाभार्थी के नाम खातेदारी सनद क्रमांक 00053/08 दिनांक 18.04.2013 को जारी की गई है।

उक्त अजीजुल्ला की उक्त प्रश्नगत भूमि श्री कप्तान सिंह पुत्र बन्ने सिंह, जाति राजपूत, निवासी 7 पीएचएम, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर बहैसियत मुख्त्यारआम मिन जानिब श्री अजीजुल्ला निवासी 5 बीएलडी पहलवान का बेरा का नोटेरी छतरगढ़ मुकाम खाजूवाला से दिनांक 01.11.2012 को तस्दीक होना, बैयनामा दिनांक 10.06.2013 में अंकित किया हुआ है। उक्त बैयनामा दिनांक 10.06.2013 द्वारा उक्त मुख्त्यारआम श्री कप्तान सिंह ने श्री पवन सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत, चक 7 पीएचएम, तहसील खाजूवाला को उक्त भूमि 4 लाख रूपये में विक्रय की गई है। लाभार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2012 को दिया गया है, जबकि मुख्त्यारआम दिनांक 01.11.2012 द्वारा श्री कप्तान सिंह को नियुक्त किया गया है। उक्त मुख्त्यारआम से पूर्व अजीजुल्ला ने अमलदरामद हेतु प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया है और ना ही सैल रजिस्टर में खाता खुला और ना ही भूमि का अमलदरामद अजीजुल्ला के नाम से हुआ है। इससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त मुख्त्यारआम कप्तान सिंह की भूमिका भी पूर्ण रूप से संदिग्ध है।

समेरमल पुत्र रामकुमार, निवासी खाजूवाला, उपनिवेशन तहसील खाजूवाला, राजस्व तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर ने उपायुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी बीकानेर के नाम से सरकारी भूमि आवंटन के लिए आवेदन दिनांक 04.11.1988 को पेश किया जाना दर्शाया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ भूमिहीन का प्रमाण पत्र क्रमांक 029924 लगा हुआ है व प्रमाण पत्र के नीचे पटवार हल्का खाजूवाला की रिपोर्ट अंकित है। आवंटन अधिकारी, इगानप, छतरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 23.12.1988 को जरिए लॉटरी चक नंबर 14 डीकेडी के मुरब्बा नंबर 3/22 की कुल 20 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित करना दर्शाया गया है। उक्त आवंटन दिनांक से वर्ष 2012 तक अर्थात् करीब 24 वर्ष तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होना नहीं पाया गया है और न ही उक्त अवधि तक कोई कब्जा दिये जाने के तथ्य पाये गये हैं। उक्त आवंटी के नाम से वर्ष 1988 से 2012 तक न तो खाता खोला गया और न ही कोई किश्त जमा करवाई गई।

उक्त समेरमल के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार खाजूवाला श्री रामचन्द्र पचार ने हल्का पटवारी को राशि जमा की सूचना आदि प्राप्त कर प्रार्थी के नाम से अमलदरामद की कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया तथा टीआरए शाखा को प्रार्थी का खाता खोलकर राशि जमा करने हेतु आदेशित किया। तहसीलदार के आदेश पर तहसील राजस्व लेखाकार श्री श्याम सिंह द्वारा आवंटी से राशि जमा कर ली गई तथा पटवारी हल्का श्री हरिराम द्वारा नामान्तरकरण दर्ज कर भू अभिलेख निरीक्षक श्री किशन सिंह द्वारा रिकॉर्ड से मिलान करवाने के पश्चात तहसीलदार श्री रामचन्द्र पचार द्वारा दिनांक 26.06.2013 को नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। इस प्रकार उक्त

कार्य में श्री रामचन्द्र पचार तहसीलदार, श्री हरिराम हल्का पटवारी, श्री किशन सिंह भूअभिलेख निरीक्षक, श्री श्याम सिंह तहसील राजस्व लेखाकार एवं समेरमल की आपसी मिलीभगत व सुनियोजित षड़यंत्र पूर्वक वर्ष 1988 के फर्जी एवं कूटरचित आदेश के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में बिना उपखण्ड अधिकारी की पुष्टि के अमलदरामद किया गया है, जिसके लिए उक्त दोषी पाये गये हैं।

नवाब खां पुत्र श्री गुलजार खां, निवासी रणसीसर, राजस्व तहसील सरदारशहर, जिला चूरू ने उपायुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी बीकानेर के नाम से सरकारी भूमि आवंटन के लिए आवेदन दिनांक 24.12.1983 को पेश करना दर्शाया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ भूमिहीन का प्रमाण पत्र लगा हुआ है व प्रमाण पत्र में पटवार हल्का सरदारशहर की रिपोर्ट अंकित है। आवंटन अधिकारी, इगानप, छतरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 22.03.1984 को जरिए लॉटरी चक नंबर 14 डीकेडी के मुरब्बा नंबर 3/30 की 22 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित होना दर्शाया गया है। आवेदन पत्र नबाव खां पुत्र गुलजार खां ने अपनी राजस्व तहसील सरदारशहर अंकित की है। आवंटन पत्रावली में भूमि हीन प्रमाण पत्र में हल्का पटवारी सरदारशहर द्वारा भूमि के संबंध में रिपोर्ट की गई है तहसीलदार सरदारशहर चूरू के पत्र क्रमांक 4560 दिनांक 12.10.2020 ने अवगत करवाया कि वर्ष 1983–84 में पटवार हल्का सरदारशहर के अन्तर्गत केवल कस्बा सरदारशहर ही आता था। वर्ष 1983–84 में गांव रणसीसर पटवार हल्का रणसीसर के अन्तर्गत ही आता था। उक्त पत्रावली प्रथम दृष्टया ही फर्जी/कूटरचित एवं षड़यंत्र पूर्वक तैयार किया जाना पत्रावली से पाया गया है। उक्त आवंटन दिनांक 22.03.1984 से वर्ष 2012 तक अर्थात् करीब 28 वर्ष तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होना नहीं पाया गया है और न ही उक्त अवधि तक कोई कब्जा दिये जाने के तथ्य पाये गये हैं। उक्त आवंटी द्वारा वर्ष 1984 से 2012 तक न तो खाता खुलवाया गया और न ही कोई किश्त जमा करवाई गई।

नवाब खां पुत्र गुलजार खां ने उक्त आदेश दिनांक 22.03.1984 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के यहां अपील संख्या 83/2014 पेश की गई। उक्त अपील का निर्णय श्री रामदेव गोयल तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा दिनांक 23.03.2014 को निर्णय दिया गया कि "अपीलांट की अपील स्वीकार की जाता है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.1984 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि चक 14 डीकेडी के स्थान पर चक 14 पीकेडी ए पढा जावें।" तत्पश्चात पेन से अंकित किया गया है कि "तदानुसार तहसीलदार खाजूवाला द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे।" राजस्व रिकॉर्ड में आवंटी के नाम से अमलदरामद करने का आदेश राजस्व अपील अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नही है। जबकि श्री रामदेव गोयल, राजस्व अपील अधिकारी ने उक्त निर्णयादेश नियम विरूद्ध पारित कर रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये। नबाव खां पुत्र गुलजार खां का चक वर्ष 1998 में परिवर्तित हुआ है। उक्त में संशोधन का अधिकार आवंटन अधिकारी को ही था, जो धारा 152 सीपीसी के अन्तर्गत है, परन्तु नवाब खां पुत्र गुलजार खां द्वारा पत्रावली फर्जी/कूटरचित होने से आवंटन अधिकारी को आवेदन नहीं कर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में संशोधन के लिए अपील आपसी मिलीभगत से की गई तथा मिलीभगत कर अपने पक्ष में निर्णय पारित करवाया गया। जिसके लिए नवाब खां पुत्र गुलजार खा मुसलमान, निवासी रणसीसर एवं राजस्व अपील अधिकारी श्री रामदेव गोयल दोषी हैं।

उक्त नवाब खां गुलजार खां, निवासी चक 14 पीकेडी ए, त. खाजूवाला ने एक लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2015 का चक 14 डीकेडी के मु.नं. 3/30 के 22 बीघा भूमि का राजस्व अभिलेख में मुताबिक आदेश न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर दिनांक 23.09.2014 में अमल दरामद किये जाने हेतु पेश करने पर श्री कस्तूरीलाल तहसीलदार द्वारा पटवारी से रिपोर्ट ली गई, जिस पर श्री हेतराम द्वारा आवंटन भूमिहीन श्रेणी का व काफी पुराना होने के कारण आवंटन आदेश की पुष्टि करवायी जानी आवश्यक होने की रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट के संबंध में तहसीलदार श्री कस्तूरीलाल द्वारा उपखंड अधिकारी खाजूवाला से कोई पुष्टि नहीं ली जाकर पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के पश्चात जरिए क्रमांक 78 दिनांक 12.01.2016 मूल ही पटवारी हल्का माधोडिग्गी को भेजकर राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 23.09.2014 की पालना हेतु प्रेषित किया गया। रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने पर उक्त श्री नवाब खां द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्याय आपके द्वारा कैंप में दिनांक 09.05.2016 को श्री कस्तूरीलाल तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होने पर उक्त तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी को नियमानुसार कार्यवाही करें का अंकन किया। उक्त आदेश के क्रम में पटवारी हल्का श्री अनिल कुमार गुप्ता द्वारा नामान्तरकरण संख्या 85 आराजीराज से नवाब खां के नाम दर्ज किया गया है तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है स्थगन नहीं है, विवाद नहीं है का अंकन किया है। उक्त नामान्तरकरण का भू–अभिलेख निरीक्षक कैलाशचंद्र द्वारा दिनांक 09.05.2016 को किया गया है तथा उसी रोज कैंप में श्री कस्तूरीलाल तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया

है। उक्त कृत्य के लिए लाभार्थी नवाब खां, हल्का पटवारी अनिल कुमार गुप्ता, भू अभिलेख निरीक्षक श्री कैलाशचन्द्र, व श्री कस्तूरीलाल तहसीलदार दोषी हैं।

बच्ची पत्नी वजीर खां, निवासी बेरीयावाली, उपनिवेशन तहसील खाजूवाला, राजस्व तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर ने आवंटन अधिकारी इंन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर के नाम सरकारी भूमि के आवंटन के लिए आवेदन वर्ष 1988 में करना दर्शाया गया है। उक्त आवेदन पत्र के साथ भूमि हीन श्रेणी का प्रमाण पत्र कमांक 029924 लगा हुआ है। उक्त भूमिहीन श्रेणी के प्रमाण पत्र में पटवार हल्का खाजूवाला की रिपोर्ट अंकित है। आवंटन अधिकारी, इगानप, छतरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 22.12.1988 को जरिए लॉटरी चक नंबर 7 केजेडी मुरब्बा नंबर 102/17 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित होना दर्शाया गया है। उक्त आवंटन दिनांक 22.03.1984 से वर्ष 2012 तक अर्थात् करीब 28 वर्ष तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होना नहीं पाया गया है और न ही उक्त अवधि तक कोई कब्जा दिये जाने के तथ्य पाये गये हैं। उक्त आवंटी द्वारा वर्ष 1984 से 2012 तक न तो खाता खुलवाया गया और न ही कोई किश्त जमा करवाई गई। उक्त बच्ची पत्नी वजीर खां ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में एक अपील पेश की। उक्त अपील संख्या 115/2013 का निर्णय दिनांक 18.06.2013 को श्री रामेश्वर दयाल मीना राजस्व अपील अधिकारी द्वारा किया गया है। निर्णय में न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये कि अपीलांटा को आवंटित रकबा चक 7 केजेडी के मुरब्बा नंबर 102/17 तादादी 25 बीघा का वर्तमान नये चक 8 केजेडी में अमलदरामद किया जावे। बच्ची बेवा वजीर खां द्वारा पत्रावली फर्जी/कूटरचित होने से आवंटन अधिकारी को आवेदन नहीं कर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में संशोधन के लिए अपील आपसी मिलीभगत से की गई तथा मिलीभगत कर अपने पक्ष में निर्णय पारित करवाया गया। जिसके लिए श्री रामेश्वरदयाल मीणा व बच्ची पत्नी स्व. वजीर खां निवासी बेरियांवाली दोषी है।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा उक्त निर्णय मय पत्रावली उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को प्रेषित की गई। उक्त राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 18.06.2013 के विरूद्ध तहसीलदार खाजूवाला द्वारा राजस्व मंडल अजमेर में निगरानी संख्या 1738/2016 दायर की गई। उक्त निगरानी में न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर ने राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय दिनांक 18.06.2013 को यथावत् रखने का आदेश पारित किया गया। उक्त पत्रावली न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा राजस्व अपील अधिकारी को पत्रावली प्रेषित करने पर राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर ने अपने पत्र कमांक 462 दिनांक 07.02.2018 द्वारा तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिये कि प्रश्नगत रकबे में अमलदरामद हेतु न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश दिनांक 18.05.2013 व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 25.10.2016 के अनुसरण में वादगत भूमि का अपीलांट के नाम रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्त बच्ची बेवा वजीर खां ने जिला कलक्टर(भू–अभिलेख) बीकानेर को प्रार्थना पत्र देकर रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के लिए निवेदन करने पर उक्त कार्यालय द्वारा तहसीलदार खाजूवाला को पत्रांक 7447 दिनांक 14.08.2019 जारी कर आदेश दिये कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे। उक्त पत्र श्री महावीर प्रसाद बाकोलिया तत्कालीन तहसीलदार खाजूवाला द्वारा दिनांक 20.08.2019 को पटवारी हल्का को भेजकर आदेश दिये गये है कि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो एवं वन विभाग/जोहड़ पायतन एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्तावित न हो तो नियमानुसार आदेश की पालना में कार्यवाही की जावे। उक्त आदेश के कम में आराजीराज से बच्ची बेवा वजीर खां, के नाम पुख्ता आवंटन का नामान्तरकरण संख्या 502 दिनांक 21.08.2019 को पटवारी श्री प्रभूदयाल द्वारा दर्ज किया गया है व रिकॉर्ड से मिलान श्री गुरूदेव सिंह गिरदावर द्वारा दिनांक 22.08.19 को किया गया व तहसीलदार श्री महावीर प्रसाद बाकोलिया द्वारा दिनांक 26.08.19 को स्वीकृत किया गया।

उक्त मुरब्बा नंबर 102/17 की जमाबंदी संवत् 2060–63 में भूमि आराजीराज दर्ज है, जमाबंदी संवत् 2064–67 तक उपलब्ध नहीं हुई है। संवत् 2068 से 2071 तक में नोट अंकित किया हुआ है कि "आरएए बीका/13/1126 दिनांक 22.04.13 बच्ची पत्नी वजीर खां, जाति मुसलमान, निवासी बेरियांवाली बनाम सरकार मामले में विवादित भूमि मुरब्बा नंबर 102/17 तादादी 25 बीघा मौके पर रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु के आदेश" का नोट अंकित है, किला नंबर 11 वृद्धावस्था आश्रम हेतु प्रस्तावित है, तहसील के आदेश कमांक तराके/राजस्व /13/129 दिनांक 24.04.13 इसके बारे में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बीकानेर द्वारा अपील संख्या 115/13 निर्णय दिनांक 18.06.2013 के रेफरेंस हेतु राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय के विरूद्ध कागजात तहसील कार्यालय में भेजे हुए हैं, किला नंबर 20 वृद्धावस्था आश्रम हेतु प्रस्तावित है का नोट अंकित है। जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में नामान्तरकरण संख्या 502 का नोट अंकित है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में जमाबंदी में विपरीत प्रविष्टि होने के उपरांत भी

पटवारी श्री प्रभूदयाल, भू अभिलेख निरीक्षक श्री गुरूदेव सिंह व तहसीलार श्री महावीर प्रसाद बाकोलिया द्वारा लाभार्थी बच्ची बेवा वजीर खां से मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया।

उक्त प्रश्नगत आवंटनों से संबंधित बच्ची बेवा रहमत, रहमो/पठाने खां व रमजान पुत्र गुलजारी की पत्रावलियां उपनिवेशन विभाग से चाही गई, जिसके संबंध में उक्त विभाग द्वारा जरिए पत्रांक 59 दिनांक 31.05.2019 द्वारा सूचित किया कि उक्त आवंटन पत्रावली इस अनुभाग में उपलब्ध नहीं है। उक्त चक की तहसील का क्षेत्राधिकारी वर्तमान में राजस्व विभाग के अधीन है। उक्त चक राजस्व तहसील पूगल/खाजूवाला से संबंधित है। उपनिवेशन तहसील पूगल/खाजूवाला का राजस्व विभाग में विलय हो चुका है। उक्त क्षेत्र की समस्त आवंटन/खारिज पत्रावलियां संबंधित राजस्व विभाग के कार्यालय जिला कलक्टर अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को सीधे ही आवंटन अधिकारी को हस्तान्तरण की गई है। हस्तान्तरण की गई पत्रावलियों की सूची की प्रमाणित प्रतियां इस अनुभाग में उपलब्ध नहीं हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलक्टर(रिकॉर्ड) कार्यालय बीकानेर ने अपने पत्र क्रमाकं 335 दिनांक 10.08.2020 द्वारा सूचित किया है कि उपनिवेशन विभाग द्वारा रिकॉर्ड हस्तान्तरण से उक्त पत्रावली एवं पत्रावली से संबंधित किसी भी प्रकार की सूची/रजिस्टर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है एवं अन्य किसी कार्यालय को प्रेषित भी नहीं की गई है। उक्त प्रश्नगत आवंटनों से संबंधित पत्रावलियां चाही जाने पर उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने अपने पत्र क्रमांक 100 दिनांक 17.02.2020 द्वारा सूचित किया कि उपनिवेशन विभाग से प्राप्त समस्त आवंटन/खारिज पत्रावलियों की सूची इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण दी जाना संभव नहीं है। उक्त आवंटन पत्रावलियों के संबंध में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलक्टर(रिकॉर्ड) कार्यालय बीकानेर ने अपने पत्र क्रमाकं 368 दिनांक 10.08.2020 द्वारा सूचित किया है कि उपनिवेशन विभाग द्वारा रिकॉर्ड हस्तान्तरण से पत्रावली एवं पत्रावली से संबंधित किसी भी प्रकार की सूची/रजिस्टर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त पत्रावलियों एवं पत्रावलियों संबंधित सूची/रजिस्टर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होने के कारण इस कार्यालय द्वारा किसी अन्य कार्यालय को उक्त पत्रावलियां प्रेषित भी नहीं की गई हैं। उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने अपने पत्र क्रमांक 340 दिनांक 28.12.2020 द्वारा सूचित किया है कि मुताबिक टीम आवंटन पत्रावलियों के संबंध में कार्यालय में संधारित पत्रावलियां/रिकॉर्ड के संबंध में कार्यालय हाजा की रिकॉर्ड शाखा में उपलब्ध पत्रावलियां व आवक–जावक रजिस्टरों के निरीक्षण करने पर भी उपलब्ध नहीं पाई गई है। इस प्रकार उक्त पत्रावलियां उपनिवेशन विभाग, जिला कलक्टर अभिलेखागार एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी बीकानेर/खाजूवाला में भिजवाने से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ है तथा आवंटन आदेश डिस्पेचशुदा नहीं हैं। दिनांक 31.12.1983 से दिनांक 31.05.1989 तक सहायक आयुक्त उपनिवेशन के पद पर श्री वृद्धिचंद आर.ए.एस. पदस्थापित रहे हैं, जो सेवानिवृत होकर काफी वर्ष पूर्व फौत हो चुके हैं। उपरोक्त पत्रावलियों में बच्ची/रहमत, मन्नत/कालू खां, बुद्धे खां/पूर्ण खां, मन्त/शंभू खा, अजीजुल्ला/ अलादिवाया, बच्ची बेवा वजीर खां की पत्रावलियों में तहसील कार्यालय से जारी भूमिहीन प्रमाण पत्र के क्रमांक 029924 हैं, जो अधिकांश में एक ही नंबर के फार्म लगे हुए हैं। जबकि एक ही नंबर से अनेक व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाना संभव नहीं होने से उक्त पत्रावलियां प्रथम दृष्टया ही फर्जी/कूटरचित एवं षड़यंत्र पूर्वक तैयार किया जाना पाया गया है।

जन्नत पुत्री फरीद खां पत्नी दूरमोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी बेरियावाली को चक 7 केजेडी वर्तमान चक 8 केजेडी बी के मुरब्बा नंबर 83/21 व 83/13 की 45 बीघा भूमि दिनांक 22.03.1984 को आवंटित होना दर्शायी गई है। उक्त आवंटन पत्रावली संबंधित विभागों से चाही गई, परन्तु उपलब्ध नहीं हुई। प्रश्नगत आवंटी जन्नत ने जांच पर बताया कि मेरे पिताजी ने वर्ष 1983–84 में आवंटन फार्म भरा था। चक 7 केजेडी के मुरब्बा नंबर 83/13 में 20 बीघा अनकमाण्ड व 83/21 में 25 बीघा कुल 45 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। उक्त आवंटित भूमि पर हमारे द्वारा कोई काश्त नहीं की गई। उक्त भूमि दंतौर खाजूवाला सड़क पर स्थित है। उक्त भूमि का रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के यहां अपील की गई थी। वर्ष 2013 में हमारे पक्ष में निर्णय होने पर तहसीलदार खाजूवाला ने राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं कर राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी दायर की है, जो विचाराधीन है।

उक्त जन्नत पुत्री फरीद खां ने न्यायालय राजस्व अपील बीकानेर के यहां एक अपील प्रस्तुत की कि "सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 22.03.1984 जिसके द्वारा अपीलांट के आवंटन का रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट तहसीलदार ने उक्त रकबा को यह कहकर अमलदरामद नहीं किया कि पूर्व में चक 7 केजेडी में अपीलांट को रकबा आवंटित हुआ था लेकिन अब यह रकबा सर्वे में 8 केजेडी हो गया है।

इसलिए आवंटन आदेश दिनांक 22.03.1984 को संशोधन करवाने पर ही अमलदरामद किया जा सकता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपील संख्या 382/2013 दर्ज हुई। जिसका निर्णय श्री रामेश्वरदयाल मीना, राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 30.07.2013 को पारित कर तहसीलदार को आदेश दिये कि उक्त प्रश्नगत 45 बीघा में संशोधन कर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। आवंटी ने उक्त तथ्य अपनी अपील में गलत अंकित किये, क्योंकि आवंटन के समय से आवंटी के कब्जा काश्त में आवंटित भूमि होने से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं पाये गये हैं। आवंटी द्वारा चक के संशोधन के लिए अपील की गई है। राजस्व रिकॉर्ड में आवंटी के नाम से अमलदरामद करने के आदेश देना राजस्व अपील अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। जबकि श्री रामेश्वरदयाल मीना, राजस्व अपील अधिकारी ने उक्त निर्णयादेश पारित कर रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये गये हैं। जन्नत पुत्री फरीद खां द्वारा पत्रावली फर्जी/कूटरचित होने से आवंटन अधिकारी को आवेदन नहीं कर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में संशोधन के लिए अपील आपसी मिलीभगत से की गई तथा मिलीभगत कर अपने पक्ष में निर्णय पारित करवाया गया, जिसके लिए श्री रामेश्वरदयाल मीणा व जन्नत पुत्री फरीद खां निवासी बेरियांवाली दोषी है।

उक्त जन्नत पुत्री फरीद खां के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं करने पर न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में तहसीलदार के विरूद्ध अपील करने पर न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 09.09.2015 को आदेश दिया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.07.2013 की पालना नहीं की जा रही है। चूंकि यह प्रकरण धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की परिधि में नहीं आता है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, लेकिन प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वे राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 30.07.2013 की पालना विधि में प्रावधानों के तहत दो माह के अन्दर आवश्यक रूप से करें। उक्त प्रश्नगत प्रकरण में श्री रामदेव गोयल राजस्व अपील अधिकारी ने जरिए आदेश क्रमांक 2897 दिनांक 03.11.2015 को आदेश जारी कर उक्त निर्णय के तथ्यों के साथ में अंकित किया कि रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उक्त टाईपशुदा आदेश में अमलदरामद से पहले "नियमानुसार" पैन से अंकित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में भी रिकॉर्ड में अमलदरामद जन्नत पुत्री फरीद खां के नाम से नहीं किया गया। उक्त प्रश्नगत भूमि के संबंध में तहसीलदार खाजूवाला द्वारा वर्ष 2016 में जन्नत के विरूद्ध पेश की गई, जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। उक्त जन्नत पुत्री फरीद खां के नाम से आवंटन दिनांक 22.03.1984 से अभी तक न तो सैल रजिस्टर में खाता खोला गया है और न ही कोई राशि जमा करवाई गई है। प्रश्नगत रकबा खाजूवाला दंतौर रोड़ पर स्थित है जो बेशकीमती भूमि है तथा रिकॉर्ड से पाया गया है कि उक्त प्रश्नगत भूमि पर जन्नत पुत्री फरीद खां द्वारा कोई काश्त करना व कब्जा से संबंधित तथ्य नहीं पाये गये हैं।

इस प्रकार उपरोक्त जांच तथ्यों से पाया गया है कि उक्त फर्जी/कूटरचित तैयार आवंटन पत्रावलियों में भरा गया विवरण भी संदिग्ध/गलत पाया गया है तथा उपनिवेशन तहसील खाजूवाला का अंकन पाया गया है, जो तत्समय अस्तित्व में ही नहीं थी। भूमिहीन प्रमाण पत्रों में की गई पटवारी हल्का खाजूवाला की रिपोर्टें संदिग्ध/गलत हैं, जो राजस्व कार्मिक की भाषा के अनुरूप प्रतीत ही नहीं होती है। साथ ही तत् समय पटवार हल्का खाजूवाला अस्तित्व में ही नहीं था। ना ही जारी आवंटन आदेश डिस्पेचशुदा पाये गये हैं। बच्ची बेवा रहमत खां, रहमो पत्नी पठाने खां, मन्नत पुत्री कालू खां, बुद्धे खां पुत्र पूर्ण खां, मन्नत पत्नी शंभु खां, अजीजुल्ला पुत्र अलादिवाया, समेरमल पुत्र रामकुमार, नबाब खां पुत्र गुलजार खां, बच्ची बेवा रहमत खां, जन्नत पुत्री फरीद खां, बच्ची पत्नी वजीर खां के नाम से वर्ष 1984 व 1988 की फर्जी/कूटरचित आवंटन पत्रावलियां तैयार की गई। उक्त आवंटियों के नाम की आवंटन पत्रावलियां आवंटन दिनांक से वर्ष 2012–13 तक न तो आवंटियों द्वारा कब्जा लिया गया और न ही सैल रजिस्टर में खाता खुलवाकर नियमानुसार राशि जमा करवाई जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। उक्त फर्जी/कूटरचित पत्रावलियों के आधार पर आवंटी बच्ची बेवा वजीर खां, बच्ची बेवा रहमत खां, नवाब खां पुत्र गुलजार खां, जन्नत पत्नी शंभू खां, जन्नत पुत्री फरीद खां द्वारा तहसीलदार व उपखण्ड कार्यालय में राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु कोई आवेदन नहीं किया, बल्कि सीधे ही न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में झूठे तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील को राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर श्री रामेश्वरदयाल मीणा व श्री रामदेव गोयल द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे होने पर भी नियम विरूद्ध अपीलों को स्वीकार कर आवंटियों से मिलीभगत कर षड़यंत्र पूर्वक झूठे तथ्यों के आधार पर नियम विरूद्ध संशोधन व राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के निर्णय पारित किये गये हैं। उक्त अपीले राजस्थान उपनिवेशन(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के

अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं। उक्त नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत अपीलें उपनिवेशन आयुक्त द्वारा किये गये आवंटन आदेश दिनांक 22.03.1984, 22.12.1988 व 23.12.1988 के विरूद्ध करने के नाम पर की गई है, जबकि धारा 23(1) के तहत आवंटन अधिकारी के ऐसे आदेश के 30 दिवस के भीतर उपनिवेशन आयुक्त को की जा सकती है और धारा 23(2) के तहत उपनिवेशन आयुक्त के आदेश के विरूद्ध 60 दिवस के भीतर राजस्व मण्डल को की जा सकती है, जबकि उक्त राजस्व अपील अधिकारी द्वारा मात्र अपीलार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के आधार पर अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर कर दिया साथ ही राजस्थान उपनिवेशन(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत उक्त अपील किसी भी व्यक्ति द्वारा आवंटन अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित होने पर की जा सकती है, जबकि आरोपीगणों द्वारा उक्त अपीलें तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी श्री रामेश्वरदयाल मीना व श्री रामदेव गोयल के समक्ष आवंटन आदेश जो लगभग 25 वर्ष पूर्व तथाकथित रूप से हो चुके थे में चक नंबर संशोधन करवाने के नाम पर की गई थी। जिससे स्पष्ट था कि उक्त अपीलार्थी आवंटन अधिकारी के किसी भी आदेश से व्यथित नहीं थे, बल्कि उक्त आदेश में लगभग 25 वर्ष की अवधि में चकों की स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण चक नंबर में परिवर्तन करवाने के लिए की गई जबकि ऐसे संशोधन के लिए उन्हें स्वयं आवंटन अधिकारी के समक्ष ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। जिस पर आवंटन अधिकारी अपने विवेक से विधिक स्थिति के अनुसार आदेश पारित करता। यह किसी भी प्रकार अपील का विषय नहीं था, इसके बावजूद श्री रामेश्वरदयाल मीना व श्री रामदेव गोयल तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी द्वारा आरोपीगणों की अपीलें स्वीकार की गई और उन्हें मनचाहा आदेश दिया गया, जबकि ऐसा करने से पहले आवंटन आदेश होने के अत्यन्त असामान्य विलम्ब लगभग 25 वर्ष को देखते हुए आवंटन आदेशों की वास्तविकता जानने का प्रयास करना चाहिए था और उपनिवेशन आयुक्त से मूल पत्रावलियां तलब करनी चाहिए थी, परन्तु आरोपियों की आपसी मिलीभगत के कारण उनके द्वारा कोई विधिक प्रकिया नहीं अपनाई गई। राजस्थान उपनिवेशन(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975, उपनिवेशन अधिनियम 1954, राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 व काश्तकारी अधिनियम 1955 कोई भी राजस्व अपील अधिकारी को ऐसी अपीलें सुनने तथा आदेश देने को अधिकृत नहीं करता है। किसी भी आवंटन आदेश में अगर चक व मुरब्बा नंबर की गलती हो जाती है तो उसे आवंटन अधिकारी द्वारा ही धारा 152 सीपीसी में संशोधित किया जाता है न कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील में कोई संशोधन आदेश जारी किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में आवंटी के नाम से अमलदरामद करने का आदेश भी राजस्व अपील अधिकारी के न्यायिक दायित्वों के अधीन नहीं है। बल्कि तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में है। अगर आवंटन संदिग्ध प्रतीत होता है, तो लेण्ड होल्डर का दायित्व बनता है कि आवंटन की वैधता की जांच हेतु आवंटन अधिकारी को लिखे और आवंटन की पुष्टि के पश्चात ही आवंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में आवंटी के नाम से अमलदरामद करें। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा दिये गये विधि विरूद्ध निर्णयों के विरूद्ध अपील नहीं कर उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर लाभार्थियों से मिलीभगत कर आपसी षड़यंत्रपूर्वक सरकारी भूमियों का लाभार्थियों के नाम रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाकर सरकार को हानि कारित की है।

उक्त निर्णयों के क्रम में बच्ची बेवा रहमत खां, नवाब खां पुत्र गुलजार खां, जन्नत पत्नी शंभू खा, बच्ची बेवा वजीर खां द्वारा तत्कालीन तहसीलदार के आदेशों पर श्री अनिल कुमार गुप्ता हल्का पटवारी, श्री जुगलकिशोर, श्री प्रभूदयाल पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किये गये, जिनका रिकॉर्ड से मिलान भू–अभिलेख निरीक्षक श्री कैलाश चन्द्र, श्री गुरूदेव सिंह व श्री किशन सिंह द्वारा किया गया एवं नामान्तरकरण तहसीलदार श्री कस्तूरीलाल, श्री रामचन्द्र पचार व श्री महावीर प्रसाद बाकोलिया द्वारा स्वीकृत किये गये। उक्त पत्रावलियों के आवंटन की पुष्टि उपखण्ड कार्यालय से नहीं करवाकर नियम विरूद्ध निर्णयों के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज होकर स्वीकृत किये गये हैं। प्रश्तगत पत्रावलियों में मन्नत पुत्री कालू खां, बुद्धे खां पुत्र पूर्ण खां, मन्नत पत्नी शंभु खां, अजीजुल्ला पुत्र अलादिवाया, समेरमल पुत्र रामकुमार के नाम से करीब 22 से 28 वर्ष पूर्व के फर्जी/कूटरचित आवंटन आदेशों का तहसील कार्यालय के सैल रजिस्टर में खाता नहीं खुलने व राशि जमा नहीं होने, राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा व काश्त नहीं होने व कब्जा नहीं देने के उपरांत तथा उपखण्ड कार्यालय से आवंटन आदेशों की पुष्टि करवाये बिना ही तत्कालीन तहसीलदार श्री राजेश नायक, रामचन्द्र पचार द्वारा पटवारी को बिना आवंटनों की पुष्टि करवाये ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये। आदेश के क्रम में श्री अनिल कुमार गुप्ता, श्री जुगल किशोर, श्री हरिराम द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने पर भू–अभिलेख निरीक्षक श्री रामेश्वरलाल कस्वा, श्री किशन सिंह द्वारा रिकॉर्ड से मिलान किया गया तथा उक्त तहसीलदारगण द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये। उक्त प्रश्नगत पत्रावलियों में आवंटियों के

नाम से बनाये गये फर्जी आवंटन आदेशों के क्रम में 22 से 30 वर्ष पश्चात उपनिवेशन विभाग के सैल रजिस्टर में खाते खोलकर वर्ष 1984 व 1988 की दरों के आधार पर राशियां जमा करवाई गई हैं। जिसके आधार पर आवंटियों ने राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद व खातेदारी लेने की कार्यवाही की है। उक्त कृत्य में आवंटियों के साथ तहसील राजस्व लेखाकार श्री श्याम सिंह व श्री मेघाराम द्वारा भी पूर्ण सहयोग किया गया है। उक्त अजीजुल्ला पुत्र अलादिवाया की भूमि के संबंध में श्री कप्तान सिह पुत्र श्री बन्ने सिंह को दिनांक 01.11.12 को मुख्त्यारआम नियुक्त किया गया है, जबकि तत् समय तक उक्त भूमि आराजीराज दर्ज थी। अजीजुल्ला द्वारा भूमि से संबंधित समस्त कार्य उक्त मुख्त्यारआम के बाद की गई है। उक्त कप्तान सिंह द्वारा उक्त भूमि जरिए मुख्त्यारआम विक्रय की गई है। जिसमें उक्त मुख्त्यारआम कप्तान सिंह की भूमिका भी पूर्ण रूप से संदिग्ध है, जिसके संबंध में नियमित प्रकरण दर्ज होने गहनता से अनुसंधान किया जावेगा।

इस प्रकार पाया गया है कि 1. श्री रामेश्वर दयाल मीणा तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी हाल सेवानिवृत आरएएस, 2. श्री रामदेव गोयल तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी हाल सेवानिवृत, 3. श्री राजेश कुमार नायक तत्कालीन तहसीलदार हाल उपखण्ड अधिकारी, 4. श्री रामचन्द्र पचार तत्कालीन तसीलदार हाल सेवानिवृत उपखण्ड अधिकारी, 5. श्री कस्तूरीलाल तत्कालीन तहसीलदार राजस्व खाजूवाला हाल सेवानिवृत, 6. श्री महावीर प्रसाद बाकोलिया तत्कालीन तहसीलदार खाजूवाला, जिला बीकानेर, 7. श्री अनिल कुमार गुप्ता तत्कालीन हल्का पटवारी हाल पटवारी, पटवार हल्का दंतौर, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर, 8. श्री जुगल किशोर शर्मा तत्कालीन हल्का पटवारी हाल पटवारी, पटवार मंडल कालख, तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभर, 9. श्री हरिराम तत्कालीन हल्का पटवारी हाल सेवानिवृत, 10. श्री प्रभूदयाल तत्कालीन हल्का पटवारी पटवार मण्डल 8 केजेडी ए, बी, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर, 11. श्री कैलाशचन्द्र तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक हाल सेवानिवृत, 12. श्री गुरूदेव सिंह तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर, 13. श्री किशन सिंह तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर हाल सेवानिवृत, 14. श्री रामेश्वरलाल कस्वा तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर, 15. श्री मेघाराम तत्कालीन तहसील राजस्व लेखाकार खाजूवाला, जिला बीकानेर हाल सेवानिवृत, 16. श्री श्याम सिंह तहसील राजस्व लेखाकार, राजस्व तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर एवं लाभार्थीगण 17. बच्ची बेवा रहमत खां, 18. रहमो पत्नि पठाने खां, 19. श्रीमती मन्नत पुत्री कालू खां पत्नी श्री सतार खांन, 20. जन्नत उर्फ मन्नत पत्नी श्री शंभू खां पड़िहार, 21. श्री अजीजुल्ला पुत्र श्री अलादिवाया, 22. श्री समेरमल पुत्र श्री रामकुमार, 23. श्री नवाब खां पुत्र श्री गुलजार खां, 24. जन्नत पुत्री फरीद खां पत्नी श्री दूर मोहम्मद, 25. श्रीमती बच्ची पत्नी वजीर खां व 26. श्री बुद्धे खां पुत्र पूर्ण खां द्वारा सुनियोजित तरीके से आपराधिक षड़यंत्र रचकर फर्जी/कूटरचित आवंटन पत्रावलियां तैयार कर राजस्व विभाग के अधिकारी/कार्मिकों से मिलीभगत कर रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाकर बेशकीमती सरकारी भूमियों का नामान्तरकरण फर्जी तरीके से अपने नाम से दर्ज करवाकर आर्थिक फायदा प्राप्त किया गया है तथा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए लाभार्थियों के फर्जी/कूटरचित आवंटन आदेशों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाकर लाभार्थियों को आर्थिक फायदा पहुंचाकर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व 420, 467, 468, 471, 477ए व 120बी भादसं का प्रथम दृष्टया घटित होना पाया गया है। उक्त आरोपीगणों में से श्री बुद्धे खां पुत्र श्री पूर्ण खां, निवासी राजपुरिया, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर फौत हो चुका है। अतः शेष आरोपीगण क्रम संख्या 01 से 25 तक के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व 420, 467, 468, 471, 477ए व 120बी भादसं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय

(रजनीश पूनियाँ)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 477ए, एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण श्री रामेश्वर दयाल मीना, सेवानिवृत-आरएएस सी-9/623, कृष्णा मार्ग, चित्रकूट जयपुर एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के बिंदु संख्या 7 पर वर्णित अभियुक्त 2 लगायत 25 तक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 492/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांकः- 4177-82 दिनांकः- 28.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक(क-3/शिकायत) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
4. जिला कलक्टर भू0अ0, बीकानेर।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

28.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

संशोधन पत्र

अपराध संख्या 492/2022 विरूद्ध श्री रामेश्वर दयाल मीना, सेवानिवृत आरएएस स्केल सी-9/623, कृष्णा मार्ग, चित्रकूट जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध पत्रांक 4177-82 दिनांकः- 28.12.2022 से दर्ज किया गया था। उक्त अभियोग की कार्यवाही पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर द्वारा प्रेषित किया जाना टंकण त्रुटि से टंकित हो गया जिसे श्री रजनीश पूनियाँ, अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर पढ़ा जावें।

3.1.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांकः- 01-06 दिनांकः- 3.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक(क-3/शिकायत) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
4. जिला कलक्टर भू0अ0, बीकानेर।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

3.1.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।